

तेज रफ्तार कार ने बंद लेन में अलाव ताप रहे टोल कर्मियों को टक्कर मारी

हादसे में एक टोल कर्मचारी की मौके पर मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए



हादसे के बाद कार दूसरी कार पर चढ़ गई।



ग्रामीणों ने मांगों को लेकर टोल प्लाजा पर धरना दिया।

सूरजगढ़, (निसं)। देर रात रघुनाथपुरा टोल प्लाजा पर तेज रफ्तार कार ने बंद लेन में अलाव ताप रहे टोल कर्मियों को चपेट में ले लिया। हादसे में एक टोल कर्मचारी की मौके पर मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने टोल बंद कर सड़क जाम कर दी। छह घंटे बाद मुआवजे पर सहमति बनी। जानकारी के अनुसार देर रात रघुनाथपुरा टोल प्लाजा की एक लेन बंद थी। बैरिपर लगाकर टोलकर्मों और स्यालू कलां गांव के कुछ लोग

अलाव ताप रहे थे। इसी दौरान सूरजगढ़ दिशा से आई तेज रफ्तार कार डिवाइडर पर चढ़कर अनियंत्रित होकर अचानक बंद लेन में घुस गई। कार ने अलाव ताप रहे लोगों को कुचल दिया और आगे खड़ी एक कैपर (बोलेरो) से टकरा गई। हादसे में टोल प्लाजा पर तैनात 32 वर्षीय उम्मेद पुत्र शीशराम (स्यालू कलां निवासी) की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर घायल पवन पुत्र विजेंद्र राजपूत (गांव बाडोली) को शुंझुनुरेफर किया गया, जबकि देवेंद्र पुत्र श्रीपाल सिंह

सहित अन्य दो घायलों का सूरजगढ़ सरकारी अस्पताल में इलाज करवाया गया। घायलों को जीवन ज्योति रक्षा समिति की एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया।

हादसे के बाद स्यालू कलां निवासी व स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। मृतक उम्मेद परिवार का एकमात्र कमाने वाला था। ग्रामीणों ने टोल कंपनी से 50 लाख रुपये मुआवजा, फास्टैग कंपनी ने नौकरी, परिवार को पेंशन और अन्य लाभ की मांग की। उन्होंने टोल प्लाजा

बंद करवा दिया और सूरजगढ़-चिड़ावा रोड पर पेड़-पत्थर डालकर जाम लगा दिया। इससे दोनों तरफ लंबी कतारें लग गईं, यात्रियों को पैदल सफर करना पड़ा। मौके पर पहुंचे आरपीएस दौलतराम और उपखंड अधिकारी दीपक चंदन ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की। लगभग छह घंटे धरने के बाद प्रशासन और ग्रामीणों में सहमति बनी।

श्रवण भालोटिया (स्यालू कलां) के अनुसार, मृतक को टोल कंपनी से 2 लाख, फास्टैग कंपनी से

4 लाख और भाजपा नेता पवन मेघवाल की ओर से एक लाख की सहायता दी गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री-प्रधानमंत्री राहत कोष, कंपनी बीमा क्लेम और अन्य लाभ का आश्वासन मिला। इसके बाद जाम खुलवाया गया। पुलिस ने बताया कि पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है। मृतक के भाई अंकित ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं चालक व अन्य की तलाश जारी है।

तीन हजार की रिश्वत लेते कांस्टेबल गिरफ्तार

झूठे मुकदमे एवं कार्रवाई नहीं करने की एवज में आठ हजार की रिश्वत मांगी थी

कोटा, (निसं)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा एसीबी टीम ने परिवारी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए गुमानपुरा थाने में तैनात कांस्टेबल जीतराम को तीन हजार की रिश्वत लेते रोगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस कांस्टेबल ने परिवारी को झूठे मुकदमे में नहीं फंसाने व उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की एवज में आठ हजार की रिश्वत की मांग की थी, जिसमें पूर्व में परिवारी से 5 हजार रुपये ले चुका था। एवं शेष राशि लेते एसीबी टीम ने कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय स्वर्णकार ने बताया

कि 9 फरवरी को परिवारी ने शिकायत दी थी। परिवारी ने शिकायत में कहा कि वह पहले एचडीएफसी बैंक के लिये रिकवरी का काम करता था, जो अब बंद कर दिया। परिवारी ने शिकायत में कहा कि विशाल मार्केट में दोस्त की दुकान पर बैठा हुआ था उसी समय गुमानपुरा थाने का कांस्टेबल जीतराम आया और झूठे मुकदमे में नहीं फंसाने व उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करने की एवज में 8 हजार की रिश्वत की मांग की तथा 5 हजार रुपये ले लिये एवं बाकि शेष राशि 3 हजार की मांग कर रहा है। एएसपी ने कहा कि शिकायत मिलने

पर शिकायत का सत्यापन करवाया गया, जिसमें कांस्टेबल द्वारा परिवारी से तीन हजार की रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। एसीबी के उप महानिरीक्षक आनन्द शर्मा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी विजय स्वर्णकार के नेतृत्व में एसीबी पुलिस निरीक्षक चन्द्र कंवर ने मय टीम ट्रेप कार्रवाई करते हुए गुमानपुरा थाने के कांस्टेबल जीतराम को परिवारी से 3 हजार की रिश्वत लेते रोगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी के महानिरीक्षक सत्येन्द्र कुमार ने निर्देशन में पकड़े गये आरोपी से पृष्ठताछ जारी है।

ट्रेलर की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत

पावटा, (निसं)। क्षेत्र में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार प्रभु बैरवा (65) पुत्र राधाकृष्ण नवोदय विद्यालय के पास पावटा स्थित अपने घर जाने के लिए सड़क पार कर रहा था, तभी तेज गति से आ रहे अज्ञात ट्रेलर ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।

घटना के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने घायल व्यक्ति को संभाला और तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन आरोप में एक उपजिला अस्पताल मात्र करीब 500 मीटर की दूरी पर होने के बावजूद समय पर एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। एम्बुलेंस के इंतजार में घायल की हालत लगातार बिगड़ती रही। ग्रामीणों ने मानवता दिखाते हुए घायल को ई-रिक्शा में डालकर उपजिला

■ **उपजिला अस्पताल मात्र करीब 500 मीटर की दूरी पर होने के बावजूद समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची**

अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय पर एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाती तो शायद व्यक्ति की जान बचाई जा सकती थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया तथा अज्ञात ट्रेलर चालक की तलाश जारी है।

खेत में करंट लगने से किसान की मौत

टोंक, (निसं)। दूनी तहसील के चंदवाड़ पंचायत के ठिकरिया गांव में खेत की मेड़ पर लगी झटका मशीन के करंट से एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। किसान रोजाना की तरह खेत से काम खत्म कर घर लौट रहा था, लेकिन देर शाम तक घर नहीं पहुंचा। परिजनों ने तलाश की तो वह खेत की मेड़ पर झटका मशीन के तारों से चिपका मिला। पुलिस ने उसे दूनी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार घाड़ थाना क्षेत्र के ठिकरिया गांव निवासी किसान प्रभु बैरवा (65) पुत्र गोपीचंद बैरवा जो सोमवार को अन्य दिनों की तरह अपने खेत में सरसों की कटाई करने गया था। परिजनों के अनुसार वह रोज शाम 6 से 7 बजे के बीच घर लौट आता था, लेकिन सोमवार शाम 7 बजे के बाद भी जब वह घर नहीं पहुंचा तो परिजन चिंतित हो गए। इसके बाद परिजन और ग्रामीण उसकी तलाश में खेतों की ओर गए। तलाश के दौरान प्रभु बैरवा एक अन्य किसान के खेत की मेड़



परिजनों ने तलाश की तो किसान खेत की मेड़ पर तारों से चिपका मिला।

पर जानवरों से फसल बचाने के लिए लगाई गई झटका मशीन के तारों पर गिरा हुआ मिला, तारों में करंट दौड़ रहा था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को दूनी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे

औपचारिक रूप से मृत घोषित कर दिया। शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा।

मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने प्रशासन से मृतक के आश्रितों को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने

की मांग की है, साथ ही झटका मशीन लगाने वाले खेत मालिक पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि रात के समय जानवरों से फसल बचाने के लिए झटका मशीन के तारों में करंट छोड़ दिया जाता है, जिससे ऐसे हादसे हो रहे हैं।

■ **चेक अनादरण के दो प्रकरणों में निर्णय सुनाया**

■ **आरोपी को एक-एक वर्ष की सजा, 31 लाख रुपए का जुर्माना लगाया**

यादव ने मौजा शिवनगर, पावटा स्थित त्रिवेणी सिटी नामक आवासीय कॉलोनी में भूखंड बेचने का इकरार किया था। इस दौरान उसने मदन सिंह से साईं पेटे के रूप में 11 लाख 50 हजार रुपए तथा अजीत सिंह से 10 लाख 25 हजार रुपए प्राप्त किए। इकरारनामे के अनुसार यदि भूमि का विक्रय पत्र निष्पादित नहीं किया जाता,

पावटा, (निसं)। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट पावटा, जिला कोटपूतली-बहरोड़ ने चेक अनादरण के दो अलग-अलग प्रकरणों में निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त को सजा व जुर्माने से दंडित किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. अजय कुमार बिस्नोई ने मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त जीताराम यादव पुत्र सगराराम यादव निवासी सुजातनगर, पावटा को प्रत्येक प्रकरण में एक-एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है तथा 31 लाख का जुर्माना लगाया है।

प्रकरण के अनुसार, दो सगे भाई मदन सिंह पुत्र रामचन्द्र सिंह एवं अजीत सिंह पुत्र रामचन्द्र सिंह ने वर्ष 2021 में अभियुक्त जीताराम यादव के खिलाफ अलग-अलग चेक अनादरण के मामले दर्ज कराए थे। आरोप है कि जीताराम

तो प्राप्त राशि की दुगुनी रकम लौटाने की शर्त तय की गई थी। इसी शर्त के तहत अभियुक्त ने मदन सिंह को 23 लाख रुपए तथा अजीत सिंह को 20 लाख 50 हजार रुपए के चेक दिए, लेकिन खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण दोनों चेक अनादरित हो गए। इसके बाद परिवारी पक्ष ने न्यायालय में अलग-अलग परिवार प्रस्तुत किए। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए दोनों मामलों में एक-एक वर्ष के साधारण कारावास तथा कुल 31 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया। न्यायालय ने आदेश दिया कि जुर्माने की पूरी राशि परिवारी मदन सिंह और अजीत सिंह को प्रतिकर के रूप में प्रदान की जाएगी। मामले में परिवारी पक्ष की ओर से अधिवक्ता रोहिताश शर्मा ने पैरवी की।

रेस्टोरेंट और ढाबों की जांच में अग्निसुरक्षा के उपाय नहीं मिले

कोटा, (निसं)। नगर निगम के अग्निशमन अनुभाग ने मंगलवार को सघन अभियान चलाकर शहर में विभिन्न स्थानों पर रेस्टोरेंट और ढाबों की जांच की। अग्निसुरक्षा उपाय नहीं मिलने पर 50 रेस्टोरेंट और ढाबों को नोटिस जारी किया गया है। आयुक्त ओमप्रकाश मेहरा ने बताया कि निगम के अभियंताओं की टीम एक ओर शहर में जौर्ण-क्षीर्ण भवनों और निर्माणाधीन भवनों की जांच कर रही है, वहीं दूसरी ओर अग्निशमन अनुभाग को रेस्टोरेंट और ढाबों की जांच में लगाया है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास की नेतृत्व में छह अलग-अलग टीमों ने मंगलवार को तलवंडी, विज्ञान

10 लाख की फिरोती के लिये प्रोपर्टी डीलर का किडनैप

बीकानेर, (निसं)। बोलेरो कैपर सवार बदमाश प्रोपर्टी डीलर का किडनैप कर ले गए। मारपीट कर मोबाइल छीन लिया और 10 लाख रुपए की फिरोती मांगी। दो लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर होने के बाद 20 किलोमीटर दूर छोड़कर फरार हो गए। घटना लूणकरनसर के वाई संख्या 37 की है।

सुरेंद्र पीरतानी ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि योगेश सिहाग, तेजाराम जाट और एक अन्य युवक कैपर गाड़ी लेकर उसके घर के सामने

धोखे से नकदी हड़पी

उदयपुर, (निसं)। प्रतापनगर थाना पुलिस ने पिता-पुत्र के खिलाफ धोखे से पीड़िता से लाखों की नकदी हड़पने का प्रकरण दर्ज किया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता उषादेवी पत्नी रघुवीरसिंह चारण निवासी वर्धमान नगर उत्तरी सुन्दरवास ने हिरणमगरी निवासी भवानीसिंह व उसके पिता बहदुरसिंह के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। उसने बताया कि आरोपी से संपर्क होने पर स्वयं को उसने ठेकेदार होना बताया। इस पर मकान निर्माण के लिए उसे 1 जनवरी से 25 अक्टूबर 2025 के बीच टुकड़ों में 63 लाख रुपये का आरोपी को भुगतान किया, लेकिन आज दिन तक आरोपी ने मकान निर्माण नहीं किया। इसको लेकर रुपये मांगने पर टालमटोल करना शुरू कर दिया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है।

■ **दो लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर होने के बाद प्रोपर्टी डीलर को 20 किलोमीटर दूर छोड़कर फरार हो गए बदमाश**

पहुंचे। आरोपियों ने उसे फोन कर बाहर बुलाया। जैसे ही वह बाहर आया, उसे जबरन गाड़ी में डाल लिया। उसका मोबाइल बंद कर दिया और मारपीट शुरू कर दी। सुरेंद्र ने बताया कि आरोपियों ने उससे 10 लाख रुपए की फिरोती की मांग की। इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थता जताने पर आरोपियों ने उसके भाई की फोन कर माली होटल पर दो लाख रुपए लेकर आने को कहा। उसका भाई तय स्थान पर पहुंचा, लेकिन वहां किसी ने रुपए नहीं लिए। दो लाख रुपए सत्यनारायण गोदारा के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर करवाए। रुपए मिलने के बाद आरोपी उसे हरियासर के पास छोड़कर फरार हो गए।

नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल की सजा

भीलवाड़ा, (निसं)। विशिष्ट पाँक्सो अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने के मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने जुर्माना भी लगाया है।

भीलवाड़ा के पुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया है। घटना की रिपोर्ट 16 नवंबर 2024 को दर्ज कराई गई थी। पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया था कि उसकी 17 वर्षीय बेटी पैदल भीलवाड़ा की तरफ जा रही थी, तभी रास्ते में आरोपी सुनील उर्फ सोनू ने उसे रोक लिया। आरोपी ने न केवल नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की, बल्कि

विरोध करने पर उसे दांतों से काट भी लिया। जब पीड़िता चिल्लाई तो आरोपी उसे छोड़कर भाग गया। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सुनील उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर लिया और जांच पूरी कर कोर्ट में चालान पेश किया।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह और 14 दस्तावेज पेश किए, जिससे आरोपी पर लगे आरोप साबित हुए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, विशिष्ट न्यायाधीश (पाँक्सो कोर्ट) बालकृष्ण मिश्र ने आरोपी सुनील उर्फ सोनू को दोषी माना। कोर्ट ने आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास और 16 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

योगा छात्रा को परेशान करने वाला उत्तराखंड से गिरफ्तार

■ **सोशल मीडिया पर परेशान करने सहित आपत्तिजनक मैसेज भेजे थे**

अग्रिम पड़ताल की जा रही है। **स्टेण्ड पर बस के इंजन से धुआं निकला, अफरतफरी मचो** : जोधपुर शहर के रोडवेज बस स्टेंड पर सुबह हउर समय अफरतफरी मच गई जब एक रोडवेज बस के इंजन में शांट सर्किट के बाद धुआं निकलने लगा। बस में सवार यात्रियों को इसका पता लगा तो वे आनन-फानन में नीचे उतरने लगे। कई यात्री तो बस की खिड़कियों से कुद कर बाहर आने लगे। बाद में यात्रियों को तसल्ली से बाहर निकलने को कहा गया। हालांकि रोडवेज प्रबंधन ने बाद में बस को कारखाने में भिजवा दिया।

जानकारी के मुताबिक जोधपुर आगार की एक रोडवेज बस रवाना होने की तैयारी में थी। इस बीच बस के इंजन में संभवतः शांट सर्किट हुआ और उसमें धुआं उठने लगा। देखते ही देखते बस में सवार यात्रियों में

बस में सवार महिला — के जेवर चोरी

उदयपुर, (निसं)। बस में सवार महिला के पर्स से अज्ञात चोर सोने के जेवर चुरा ले गया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार जामुड़ा गौंगला सलूम्बर हाल बप्पारालवा नगर हिरण मगरी सेक्टर 6 निवासी प्रेमकंवर पत्नी चंद्रवीरसिंह चुण्णवत ने सूरजपोल पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया। उसने बताया कि 9 फरवरी दोपहर में बस में बैठकर सलूम्बर जा रही थी। इस दौरान अज्ञात चोर मेरे पर्स से सोने की कड़े, मंगलूस, अंगूठी चुरा ले गया। इसका पता चलने पर पुलिस को सूचना कर प्रकरण दर्ज करवाया, जिसकी जांच एएसआई तेजसिंह कर रहे हैं।

<

कार्यालय उप वन संरक्षक, करौली (राज.) (मध्दा की चौकी करौली, Phone & Fax No. 07464-297003, Email-cd.krolli.forest@rajasthan.gov.in)				
ई-निविदा सूचना संख्या 09				
इस कार्यालय अधीन रूख करौली में अग्रिम मूदा कार्यों की साईटों पर Top coping of loose stone wall fencing with cement concrete निर्माण कराये जाने वाले कार्य की निविदा आमंत्रित की गई है। अतः इच्छुक कर्म http://sppp.raj.nic.in एवं http://www.eproc.rajjasthan.gov.in पोर्टल पर देख कर निविदाओं में बोली लगा सकते हैं।				
क्र. सं.	यू सी एन नम्बर	हामल लाखों में	जारी दिनांक	जमा व खोलने की दिनांक
1	UBN No FOR2526WSOB05263	13.00	03.02.2026	13.02.2026 (सुमेल बवाल)
DIPR/C/2580/2026				उप वन संरक्षक करौली

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति "विशिष्ट श्रेणी" (जाजौ) (मण्डी - हलवात 203929304				दिनांक - 06/02/2026
ई-निविदा सूचना				
मण्डी समिति के नियंत्रणाधीन मण्डी प्राणण एवं गौण मण्डी प्राणणों में सफाई कार्य हेतु दर अनुबंध पर सफाई कर्मियों की आपूर्ति एवं 17 कम्प्यूटर विद्य मशीन हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी), आयकर (पैन नम्बर), राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संरक्षान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत संवेदकों / संस्थाओं से ठेका पद्धति पर वार्षिक दर अनुबन्ध के आधार पर शर्तरहित ऑनलाईन (ई-प्रोक्योरमेंट) बोली आमंत्रित की जाती है। इससे सम्बन्धित विवरण http://www.eproc.rajjasthan.gov.in व http://www.sppp.rajjasthan.gov.in पर देखा व डाउनलोड की जा सकता है। UBN: DAM2526WSRC01117				
राज.सं.बाद/र/बी/25/19519	कृषि उपज मण्डी समिति, जाजौ			

Rajasthan Olive Cultivation Limited State Institute of Agriculture Management Campus, Durgapura, Jaipur-302018				
निविदा-सूचना				
राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन लिमिटेड के विभिन्न जैतून फार्मों एवं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बरसी, जयपुर पर सोलर सिंचाई संयंत्र, ऑफ ग्रिड सोलर की मरम्मत एवं पुरानी बेटरियों के विक्रय का कार्य हेतु निविदादाताओं से निम्नानुसार प्रस्ताव कार्योत्तर में आमंत्रित किये गये हैं।				
क्र. सं.	कार्य का नाम	निविदा की अनु. लागत राशि रु. लाख में	निविदा की अंतिम दिनांक	निविदा खोलने की दिनांक
1	सोलर सिंचाई संयंत्र, ऑफ ग्रिड सोलर की मरम्मत एवं पुरानी बेटरियों के विक्रय का कार्य।	34.99	18.02.2026 दोपहर 03.00 बजे तक	18.02.2026 सायं: 4.00 बजे
OCL2526WSOB00026				
निविदा दस्तावेज की जानकारी		https://eproc.rajjasthan.gov.in , https://sppp.rajjasthan.gov.in पर अथवा कार्यालय से ली जा सकती है।		
राज.सं.बाद/र/बी/25/19514		पीछ ऑफिसर ऑफिसर		